

(रा.स. राजस्व अभिविधम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अभिकारी गोदाय
सिवाणा जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय ... राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गांव पूरणा की जमाबन्दी संवत् 2027-80 के खाता
संख्या 165 में मेरा/हमारे नाम बाबुलाल पुत्र कीलाराम

दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम बाबुलाल पुत्र कीलाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

दिनांक :-



हस्ताक्षर प्रार्थी/प्राथीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक


प्रार्थी के आधार कार्ड के अनुसार बाबुलाल पुत्र कीलाराम
के स्थान पर बाबुलाल पुत्र कीलाराम शुद्ध किया
जाना उचित है।


17/10/25
14 (समदडी)
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Goms - 2025/646

आदेश


तहसीलदार समदडी
तहसीलदार - समदडी

क्रमांक / ग.ा. से.शि. / 1712

दिनांक 12/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम पूरणा की जमाबन्दी संवत् 2027-80 के खाता
संख्या 165 में बाबुलाल पुत्र कीलाराम
340 के बजाय सम्मान सूचक इन्दाज

बाबुलाल पुत्र कीलाराम

करने की सीकुरि प्रदान

की जाती है तदनुसार गांव दसगांव की कार्यवाही की जावे ।




उपखण्ड अभिकारी
सिवाणा, बालोतरा